28/8/24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। स्टेट की और से तहसीलदार शिवगंज उपस्थित। तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत जवाब पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। तहसीलदार शिवगंज द्वारा जांच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि प्रार्थी के पिता राजाराम पुत्र आईदान जाति माली की मृत्यु होने पर जरिये नामांतरकरण सं0 673 दिनांक 07.12.2022 अशोक कुमार, मुकेश कुमार पि0 राजाराम, रिंकु पुत्री राजाराम, सीमा पुत्री राजाराम, लीलाबाई पत्नी राजाराम के नाम दर्ज हुए। उक्त नामांतरकरण हेतु प्रार्थी अशोक कुमार स्वयं द्वारा प्रार्थनापत्र एवं शपथ पत्र पटवारी हल्का शिवगंज को प्रस्तुत किया गया था जिसमें स्वयं प्रार्थी द्वारा अपना नाम अशोक कुमार पुत्र राजाराम (उर्फ राजेन्द्रकुमार) नाम का अंकन किया गया है। अतः पटवारी हल्का शिवगंज द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर ही नामांतरकरण में अमल दरामद किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा नामांतरकण में किसी प्रकार की कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं की गई है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पोषणीय नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नं0 से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.09 15:33:23 IST
Reason: SelfAttested